

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3(3)(3) स्था/मंत्रा./अभि./2018/ 2312-25

दिनांक:-21/11/19

--: आदेश :-

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी. ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


क्र.सं.	आवेदक का नाम एवं सेवानिवृति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण	अभिवृद्धि कब तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री शिवराम पारासर, कनिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	05.08.55	एडीपी कोटा	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
2.	श्री गिरार्ज प्रसाद सैन, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	23.06.54	एडीपी अलवर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 31.05.19 तक
3.	श्री भवर लाल मीणा, सहा. प्रशा. अधि, अभियोजन विभाग	12.01.56	एडीपी उदयपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
4.	श्री नाथू लाल मैनारिया, सहा. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	10.02.56	एडीपी उदयपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
5.	श्री ओमप्रकाश गोतम, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.04.56	एडीपी कोटा	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
6.	श्रीमती मंजू धनकर, वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	21.02.56	एडीपी कोटा	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
7.	श्री मधुप सक्सेना, अति. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	03.07.56	एडीपी जयपुर शहर प्रथम	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
8.	श्री भंवर लाल राठौर, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.09.56	एडीपी बून्दी	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
9.	श्री सतीश कुमार गुप्ता, अति. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	03.07.56	एडीपी अलवर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
10.	श्री आनन्द प्रकाश अटल, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	09.04.55	एडीपी अलवर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 31.03.2020 तक
11.	श्री सत्यप्रकाश गौड, हॉस्पिटल केयर टेकर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	12.07.54	एडीपी जयपुर शहर द्वितीय	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 30.06.19 तक
12.	श्री दर्शन सिंह बग्गा, वरिष्ठ रीडर न्याय विभाग	20.07.57	एडीपी अजमेर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
13.	श्री राजेश कुमार कुर्डिया, सहायक प्रशा.अधि. शिक्षा विभाग	21.07.56	एडीपी अजमेर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
14.	श्री बनवारी लाल विश्‍नोई, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.08.54	एडीपी बीकानेर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 31.07.19 तक
15.	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	24.09.55	एडीपी बीकानेर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
16.	श्री झाबर मल, अति. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	15.06.56	एडीपी सीकर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
17.	श्री सुरेश चन्द जोशी, कनिष्ठ सहायक, राज्य बीमा विभाग	05.07.57	एडीपी चित्तोडगढ	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक

18.	श्री अरुण कुमार चौधरी, वरिष्ठ सहायक, जल संसाधन विभाग	06.01.55	एडीपी चित्तोडगढ़	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 31.12.2019 तक
19.	श्रीमती शशीकला, कनिष्ठ सहायक, महिला औ.प्र. संस्थान विभाग	31.10.54	एडीपी उदयपुर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 30.10.19 तक
20.	श्री अब्दूल गनी, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	04.06.54	एडीपी उदयपुर	चतुर्थ बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 31.05.19 तक
21.	श्री भैरू लाल गाडरी, कनिष्ठ सहायक, पुलिस विभाग	04.06.54	एडीपी चित्तोडगढ़	पांचवी बार	कार्यग्रहण की दिनांक से 31.05.19 तक

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्वधीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा कालम सख्या 6 के अनुसार कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएँ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।


यह आदेश कार्मिक (क-2) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 38/कार्मिक/क-2/19 दिनांक 11.02.2019, वित्त (व्यय-4) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 181900133/दिनांक 18.02.19 तथा गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00107/H-10/19 दिनांक 19.02.2019 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर